पंचायती राज संस्थाओं के अब तक के कामकाज का लेखा जोखा करते, उनकी कमियों, कमजोरियों और राह की अड़चनों को उजागर कर कायां, कार्यप्रवृत्ति और विधान में सुधार लाने, समाधान निकालने और आगे के कार्यक्रम पर गत पांच और छ: अप्रैल के नई दिल्ली के तलकटोरा स्टेडियम में ग्रामीण भारत की सबसे छोटी लोकतांत्रिक इकाइयों के लगभग १६०० प्रतिनिधियों और देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक इकाइ-संसद के शीर्ष प्रतिनिधियों ने गहन विचार विमर्श तथा आमंत्रण किया। इस समर्थन में अरोड़ा ने रिपोर्ट दिया है कि, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदर्शणकार भाषण में यह कहना पड़ा कि मात्र तीस हजार रुपये वार्षिक आय से कोई पंचायत देश में कृति कैसे ला पाएँ। खड़े स्तर पर ६० हजार और जिला स्तर पर २२ लाख रुपयों से ग्रामीण भारत की दशा में आमूल तुलाराम लाने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। बाई लाख पंचायत संस्थाओं की सात सो करोड़ रुपये की आय गांवों की महाकार लेनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्न के मुंह में जीरे के बराबर है। इस राष्ट्रीय और ग्रामीण जनता के अनुपात में एक और दस का अंतर है, यानि एक व्यक्ति के हिस्से में मुश्किल से दस रुपये आते हैं। पंचायतों की निदेशार्थियों द्वारा अधिक हैं पर जेब खाली है। राष्ट्र तो यह है कि मूवें भागन न होय गोपाल। ......... पंचायत सदस्यों और संसद सदस्यों के बीच उसरती अंतर तो बहुत कठोरटे बाला है। एक संसद को अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलता है, लेकिन पंचा को भाव से ही कोई पैसा मिलता है। अगर मिलता है तो दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्दों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित एक रुपये में मात्र १५ पैसे ही आम लोगों को मिल जाते हैं। उपर राज्य की स्वायत्तता के प्रश्न पर तो विधानसभाओं और संसद में धमालां चलता रहता है। लेकिन नींव की इन इकाइयों को स्वायत्तता देने पर चुपी साथ दी जाती है। राज्यों की वित्त स्वायत्त बनाने थे, लेकिन इसकी उपेक्षा कर दी गई। जब जड़ों 9. 'अरोड़ा, वे द स्काई: 'अंतरिक भारतीय पंचायत अधिकार समीक्षा - एक लेख-जोखा', हुस्सेन, मई २००२, पृ २८-३०.
को निरंतर पानी और आक्सीजन नहीं मिलेगा, बाग में पौधों की बढ़ार नहीं आएगी। लोकतंत्र को जड़ से तभी मजबूत किया जा सकता है जब पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। प्रशासनिक ने कहा कि संविधान में उनके संशोधन की विवशत मिलेगी। सत्र पर 34 लाख प्रतिनिधियों के चुनाव पर सारा विश्व हैरान है। इसमें भी 90 लाख महिलाओं की अपनी गतिविधियाँ बीच-बीच तक ही सीमित न रखना विश्व के किसी भी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। सोनिया गांधी राष्ट्रपति राजसत्ताओं को केंद्र से सीधे सहायता राशि देने के पक्ष में थी, क्योंकि राज्य सरकारें निरंतर सहायता देने में असफल रही है, बावजूद इसके कि कुछ मामलों और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाएं सक्षम रहती हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता और अपेक्षा रहती है।

वास्तव में, पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों में यह स्थान, स्तर और अधिकार प्राप्त नहीं है जो उन्हें कामपूर्ण और संविधान के अंतर्गत प्राप्त होने चाहिए थे। पंचायतों और पंचायत प्राप्ति के प्राथमिक कारण से चले आ रहे महत्व का होल तो बहुत पीटा गया है और पंचायत के प्रभावशाली के समक्ष स्थान भी विदा गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सम्मानजनक स्थान किसी विद्वान और सांसद को प्राप्त होता है, वह तीन स्तरीय पंचायतों में किसी भी स्तर के पंच को प्राप्त नहीं है। लेकिन इन सबके लिए सारा दोष राज्य सरकारें या केंद्र पर मठ देने से पंचायतों और भारतीय कार्यवाही में अनेकों दूसरों की आंकों में हमेशा धूल नहीं झोक सकते। केंद्र, राज्य सरकारें और अधिकारियों के आत्मविश्वास के साथ-साथ ग्राम सभाओं को भी अपने गिरिजावधान में धांखना और अपनी कमजोरियों पर व्यापक दुर्दशा होगा। कई पंचायतों की प्रशासन दुर्दशा के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। उनके आपसी झड़पें, पुरातन राजशाही, जातपैट के विवाद और ग्राम की गाँव अस्थायी होने निर्णायक लेने में सक्षम बन जाती है। कई प्रशासनों की अशिशा उनके लिए अभिशाप बन जाती है। कहीं-कहीं महिलाओं की अनुपस्थिति में उनके प्रति स्थानांतर के रूप में काम करते हैं। कहीं-कहीं ग्रामसमाजों का आपस में लड़ना-झांगड़ा भी उनके लिए लाभ हो जाता है। कहीं सरकारी कार्यों और प्रशासन के आपसी विवाद इतना तुलस पकड़ लेते हैं कि सब काम ठप पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज को यदि समीचीन तथा प्रारंभिक बनाना है, तो प्रतिनिधियों को पंचायती राज के प्राप्तियों की समग्र प्रामाणिक विवाद के निमित्त लागू करने के लिए इस दृष्टि से प्रतिवेदन अध्याय में पंचायती राज के सार्थकता का परीक्षण किया गया है।
प्रतिनिधित्व का अनुभव :

लोकतात्त्विक समाज में नेतृत्व की परिपक्वता नेता के अनुभव पर आशारित होता है। नेतृत्व या समाज सेवा निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में नित्य नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा विकास के विविध विषयों में स्वयं है रहा है। ऐसी दशा में एक कुशल एवं अनुभवी नेतृत्व ही इसे सही दिशा व दशा प्रदान कर सकता है। इसी दृष्टि से प्रतितुल शोध में अध्ययन इकाइयों के पूर्व में पंचायत प्रतिनिधित्व का अनुभव समन्वय तथ्यों का संकलन किया गया है (तालिका संख्या ४.९), जिससे स्पष्ट है कि, सामान्य जाति के ७०.५ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ६०.०० प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ४०.० प्रतिशत (सुलेल २०.६ प्रतिशत) पंचायत का प्रतिनिधित्व पूरे में कर चुके हैं। इनके अनुसार, हम अपने कार्यकाल में पंचायत में कर्मठता एवं ईमानदारी से कार्य किये जितना

तालिका संख्या - ४.९

पूरे में पंचायत प्रतिनिधित्व का अनुभव

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रस०</th>
<th>जाति</th>
<th>पंचायत प्रतिनिधित्व का अनुभव</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>हैं</td>
<td>नहीं</td>
<td>हैं</td>
</tr>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>६३ (१०.६)</td>
<td>२२७ (३६.१)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>३५ (०६.०)</td>
<td>७२१ (२०.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनू.अनू. जनजाति</td>
<td>२३ (०४.०)</td>
<td>९९९ (१५.९)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>१२१ (२०.६)</td>
<td>४५६ (७६.१)</td>
<td>५८० (१००.००)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रस० में अंकित वक प्रतिशत (४) में है।
फल हमें दुबारा जनता द्वारा मुझे चुनकर मिला है। हमारे मस्तिष्क में भविष्य की योजनाएँ हैं, जिसके द्वारा समग्र ग्राम-विकास को सही स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इनके विपरीत सामान्य जाति के ३५.१ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के २०.५ प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के ९५.९ प्रतिशत (कुल ७६.९ प्रतिशत) पंचायत प्रतिनिधियों का जनता ने प्रथम बार चुनाव किया है। ये प्रतिनिधि पहली बार चुनाव जीते हैं, किन्तु इनके गुण तथा नेतृत्व के नवीन सोच के कारण ही इनका चयन जनता ने किया है। इन प्रतिनिधियों का मानना है कि, जन-मानस पूर्व के असंतुलित एवं गैर-जिम्मेदारता नेतृत्व के प्रतिक्रिया स्वरूप हमें चुनाव में चयन किया है तथा हम जनता के सोच की साकार करने का प्रयत्न करेंगे।

जन-जन तक सत्ता:

लोकतंत्र की सफलता की मात्रा जन-जन तक सत्ता की पहुँच की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। बास्तव में लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है और जब तक यह जनता के जड़ में नहीं रहेगी, इसका सत्यपीय सच्चाई नहीं है। तात्पर्य - ४.२ में पंचायत से जन-जन तक सत्ता के हस्तांतरण सम्बन्धी तत्वों का संकलन किया गया है, जिससे विचित्र है कि, ०६.७ प्रतिशत सामाजिक जाति के, ०४.५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा ०४.२ प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के (कुल ६५.५ प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इस बारे में पूर्ण सहमति जताई है। इनके अनुसार, पंचायत के माध्यम से मजबूर वर्ग तक प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा बड़े जमींदारों का वर्चुस स्थानीय राजनीति में कम हुआ है। किन्तु, ३३.२ प्रतिशत सामान्य जाति के, ९५.४ प्रतिशत पिछड़ी जाति के तथा ७५.० प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के (कुल ६२.५ प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि, सत्ता जन-सामाज्य तक ठोक लेंगी है लेकिन अभी भी उच्च वर्ग के लोग इसे स्वीकार करने को नैयाय नहीं हैं। फलतः सत्ता का समुचित लाभ जन-सामाज्य की प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

पूर्वांकित के विपरीत सामान्य जाति के ७०.० प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ०६.६ प्रतिशत
### तालिका संख्या - ४.२

पंचायत से जन-जन तक सत्ता का हस्तांतरण

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रॉस</th>
<th>जाति</th>
<th>सत्ता का जन सामान्य तक हस्तांतरण</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>अधिक सहमति</td>
<td>अधिक सहमति</td>
<td>असहमति</td>
</tr>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>३६ (०६.१०)</td>
<td>१६२ (२३.३०)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>२६ (०४.४५)</td>
<td>४० (१५.५७)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनुजौ अनुज (जनजाति)</td>
<td>२५ (०६.३३)</td>
<td>३७ (२६.००)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>६० (१४.५५)</td>
<td>३७० (६७.८०)</td>
<td>१२० (२०.७०)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में अंकित अंक प्रतिशत (%) में है।

तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ०२.८ प्रतिशत (सुल पूर्व २०.७ प्रतिशत) पंचायत से सत्ता का जन-जन तक हस्तांतरण को अस्तित्वात्मक कर रहा है। इनका मानना है कि, ऐसे-ऐसे-प्रकारण सत्ता धन एवं बाहुबली के इर्द-गिन्द ही धूम रही है। नेता एवं नेतृत्व की परिभाषा विविधताओं से परिपूर्ण हो गया है।

### प्रतिलिपित संबंधी अधिकार

पंचायत प्रतिलिपि (समुदाय समाज क्षेत्र में) अपने दायित्वों के निर्वाह रूप से उपयोग करते हैं? इस बारे में बड़ी विविधताएं हैं। वास्तव में, गौरवजन पंचायत के द्वारा आम-स्वराज के सपना को साकार करना चाहते थे, किन्तु जाति, धर्म, समग्रदय युक्त अशिक्षित एवं परस्परमुलुक समाज में इसे सफल बनाना आत्मा दुर्भ कार्य है। इस बारे में प्राप्त आंकड़ों को तालिका - ४.३ में अंकित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि ५८.४ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं
### तालिका संख्या - ५.३

**दायित्व पूर्ति हेतु पंचायत प्रतिनिधियों सम्बन्धी अधिकारों का निर्बंध उपयोग**

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>जाति</th>
<th>अधिकारों का निर्बंध उपयोग</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>पूर्ण सहमति</td>
<td>आशिक सहमति</td>
<td>असहमति</td>
</tr>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>१८६ (३२.६)</td>
<td>८० (१२.८)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>८७ (१४.०)</td>
<td>२५ (०४.३)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनुमोदन/अनुनोदन जनजाति</td>
<td>६३ (१०.६)</td>
<td>२० (०३.४)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>योग</td>
<td>३५६ (५८.४)</td>
<td>१२५ (२१.६)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* कौशल में अभिलक्षित अंक प्रतिशत (%) में है।

अनुमुख जाति/अनुमुख जनजाति के क्रमशः ३२.६ प्रतिशत, १५.० प्रतिशत एवं १०.६ प्रतिशत) प्रतिनिधियों सम्बन्धी अधिकारों के निर्बंध उपयोग से पूर्ण सहमति व्यक्त किया है, २१.६ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुमुख जाति/अनुमुख जनजाति के क्रमशः ९३.८ प्रतिशत, ४.३ प्रतिशत एवं ०३.४ प्रतिशत) ने आशिक सहमति, जबकि २०.० प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुमुख जाति/अनुमुख जनजाति के क्रमशः ०३.६ प्रतिशत, ३०.६ प्रतिशत एवं ०४.८ प्रतिशत) ने असहमति व्यक्त किया है। समक्ष रूप में कहा जा सकता है कि, दायित्व पूर्ति हेतु पंचायत अधिकारों प्रतिनिधि अपने अधिकारों का निर्बंध उपयोग कर लेते हैं। निर्बंध उपयोग के प्रति आशिक सहमति या असहमति व्यक्त करने वालों में सामान्यतया महिलाओं, निम्न जाति के या निम्नतम वर्ग के पंचायत प्रतिनिधि हैं।
पंचायत अधिकारः

पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिनिधियों की कुछ अधिकारों को प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने वायुघरों का निर्वाह कर सकें। किन्तु विभिन्न अवधियों से यह तथ्य उद्धारित हुआ है कि काल्पनिक वर्ग/प्रवक्ता इन अधिकारों के उपयोग में बाधक बनते रहे हैं। इस सन्दर्भ में वस्तुतः वे अवलोकनार्थ तथ्यों का संकलन किया गया (तालिका ४.४) तो विदित हुआ कि, ०७.७ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के क्रमशः ०५.० प्रतिशत, ०२.६ प्रतिशत तथा ०७.१ प्रतिशत) प्रशासनिक अधिकारी का पंचायत कार्य में सहयोग नहीं मिलता, ०२.८ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के क्रमशः ०१.२ प्रतिशत, ००.४ प्रतिशत)

तालिका संख्या - ४.४

पंचायत अधिकारों के उपयोग में बाधक वर्ग/प्रवक्ता

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र सं</th>
<th>जाति</th>
<th>प्रशासनिक अधिकारी का असहयोग</th>
<th>सरकार/विधायक का असहयोग</th>
<th>पंचायत प्रतिनिधि का असहयोग</th>
<th>जन-सहयोग का अभाव</th>
<th>अन्य</th>
<th>नहीं</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१. सामान्य जाति</td>
<td>२५ (०५.०)</td>
<td>०७ (०१.२)</td>
<td>११ (०१.६)</td>
<td>०१.६ (०२.२)</td>
<td>०२.२ (२२०)</td>
<td>१७.६</td>
<td>१५०</td>
<td>२५०</td>
</tr>
<tr>
<td>२. पिछड़ी जाति</td>
<td>७७ (०२.६)</td>
<td>०५ (००.४)</td>
<td>४५ (०२.६)</td>
<td>०३.१ (१०.०)</td>
<td>१०.० (२२.५)</td>
<td>३५.०</td>
<td>२५५</td>
<td>२२०</td>
</tr>
<tr>
<td>३. मलय/अनुसूचित जनजाति</td>
<td>२० (०१.३)</td>
<td>०२ (००.३)</td>
<td>६२ (०६.३)</td>
<td>०६.३ (३०.०)</td>
<td>३०.० (२३.०)</td>
<td>५३०</td>
<td>५३०</td>
<td>५३०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

योग

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र सं</th>
<th>जाति</th>
<th>प्रशासनिक अधिकारी का असहयोग</th>
<th>सरकार/विधायक का असहयोग</th>
<th>पंचायत प्रतिनिधि का असहयोग</th>
<th>जन-सहयोग का अभाव</th>
<th>अन्य</th>
<th>नहीं</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१. सामान्य जाति</td>
<td>२५ (०५.०)</td>
<td>०७ (०१.२)</td>
<td>११ (०१.६)</td>
<td>०१.६ (०२.२)</td>
<td>०२.२ (२२०)</td>
<td>१७.६</td>
<td>१५०</td>
<td>२५०</td>
</tr>
<tr>
<td>२. पिछड़ी जाति</td>
<td>७७ (०२.६)</td>
<td>०५ (००.४)</td>
<td>४५ (०२.६)</td>
<td>०३.१ (१०.०)</td>
<td>१०.० (२२.५)</td>
<td>३५.०</td>
<td>२५५</td>
<td>२२०</td>
</tr>
<tr>
<td>३. मलय/अनुसूचित जनजाति</td>
<td>२० (०१.३)</td>
<td>०२ (००.३)</td>
<td>६२ (०६.३)</td>
<td>०६.३ (३०.०)</td>
<td>३०.० (२३.०)</td>
<td>५३०</td>
<td>५३०</td>
<td>५३०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में उल्लिखित अंक प्रतिशत (%) में है।
प्रतिष्ठत तथा ००.६ प्रतिष्ठत (सांसद/विधायक का असहयोग, ०५.७ प्रतिष्ठत (०१.६ प्रतिष्ठत सामान्य, ०१.२ प्रतिष्ठत पिछड़ी तथा ०२.६ प्रतिष्ठत अनुसूचित जातियाँ) पंचायत प्रतिनिधियों का असहयोग, २०.२ प्रतिष्ठत (०७७ प्रतिष्ठत सामान्य, ०६.० प्रतिष्ठत पिछड़ी तथा ०७.२ प्रतिष्ठत अनुसूचित जातियाँ) जन-सहयोग का अभाव और ०३.१ प्रतिष्ठत (०२.२ प्रतिष्ठत सामान्य तथा ००.६ प्रतिष्ठत पिछड़ी जातियाँ) अन्य बातों को स्वीकार है। सम्प्रभू रूप में कहा जा सकता है कि, पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के उपयोग में अनेक वर्ग/व्यक्तियों की बातों हैं। जब तक इन वर्गों को सम्मिलित करके प्रयत्न नहीं किया जाता, पंचायत के लक्ष्यों को पाना सम्भव नहीं है। इसका कारण पंचायत के समय ग्रामीण विकास का लक्ष्य है। ऐसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति सबके आपसी सहयोग एवं तालमेल से ही प्राप्त करना सम्भव होगा। ५८.४ प्रतिष्ठत (सामान्य जाति के २२.६ प्रतिष्ठत, पिछड़ी जाति के ९५.० प्रतिष्ठत तथा अनुसूचित जातियों के ९०.६ प्रतिष्ठत) उत्तरदाताओं का मानना है कि, वे अपने अधिकारों का निर्भर उपयोग करते हैं।

सूचना का अधिकार:

लोकतंत्र में प्रत्येक क्षेत्र में जनता की सहभागिता आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जबकि किसी भी कार्य को अधिकारिक पारदर्शी बनाया जाय। इसी के निमित्त सूचना के अधिकार को वैधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के कार्यों की जानकारी किसी भी विभाग से प्राप्त कर सकता है। तत्कालिका – ५.५ में सूचना के अधिकारों की प्रारंभिकता सम्बन्धी तथ्यों को संक्षिप्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि ६७.९ प्रतिष्ठत (सामान्य जाति के ३५.० प्रतिष्ठत, पिछड़ी जाति के ९२.२ प्रतिष्ठत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ९४.८ प्रतिष्ठत) ने सूचना के अधिकार को प्रारंभिक बताया है। इनके अनुसार, इसे जनता का पंचायत पर विस्तार छोड़ होता है तथा प्रत्येक कार्य में वे अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह सत्ता में जन-सहभागिता का प्रसार होता है तथा पंचायत के कार्य सुचारू संग से अप्रसारित होते हैं।
लालिका संख्या - ४.५
सूचना के अधिकारों की प्रासंगिकता

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>जाति</th>
<th>प्रासंगिकता</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>है</td>
<td>नहीं</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>२०३ (३४.००)</td>
<td>५७ (१५.००)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>है</td>
<td>नहीं</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>१०० (३९.२)</td>
<td>४५ (०६.३)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनुसूचित जनजाति</td>
<td>है</td>
<td>नहीं</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>८६ (४४.८)</td>
<td>४८ (०८.२)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>२८६ (६७.१)</td>
<td>५८ (१२.६)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में अंकित अंक प्रतिशत (%) में है।

किन्तु, ३२.६ प्रतिशत (सामान्य जाति के ९५.० प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ०६.६ प्रतिशत तथा ०८.३ प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के) उत्तरदायियों ने सूचना के अधिकारों की प्रासंगिकता को नकारा है। इसके मत में, पंचायत कार्य को सार्वजनिक करने पर लोग गुरुत्व-चीनी करते रहते हैं तथा कार्यो में अवरोध उत्पन्न होता है।

पंचायत कार्य की जानकारी:

पंचायत कार्य की जानकारी को लालिका - ४.५ में अभिव्यक्त किया गया है, जिससे जानकारी है कि, ३७.७ प्रतिशत (सामान्य जाति के ७६.६ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ९२.६ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ०८.६ प्रतिशत) उत्तरदायिता पंचायत द्वारा सम्मानित कूटों का जन-सामान्य को जानकारी की बात स्वीकार करता है। इसके अनुसार, हम प्रत्येक कूट को पंचायत भवन के रूबनपट पर तथा कुख्यात जन-सामान्य को अवगत करते हैं, तत्परता उत्से सम्पादित करते हैं। साथ ही, पूर्व में सम्पादित कार्यों के अवलोकनार्थ सभी के लिए प्रवास

[173]
तालिका संख्या -४.६
पंचायत द्वारा सम्पादित कृत्यों का जन-सामान्य को जानकारी

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रॉसिंग</th>
<th>जाति</th>
<th>जन-सामान्य को जानकारी</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>हैं</td>
<td>नहीं</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>६८ (९६.६)</td>
<td>१५२ (३३.१)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>६७ (९६.६)</td>
<td>८५ (७५.३)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अनु/अनु जनजाति</td>
<td>५० (८८.६)</td>
<td>८५ (४४.५)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>२९५ (३०.१)</td>
<td>६५ (६२.६)</td>
<td>३६० (१००.००)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* कोलम में अंकित अंक प्रतिशत (%) में है।

उपलब्ध रखते हैं। इस तरह सूचना के अधिकारी को ये प्रतिनिधि मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं।

किन्तु, अधिकांश (६२.६ प्रतिशत) प्रतिनिधियों, जिनमें सामान्य जाति के ३३.१ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ७५.३ प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ४४.६ प्रतिशत सम्मिलित हैं, ने पंचायत द्वारा सम्पादित कृत्यों का जन-सामान्य को जानकारी नहीं देते हैं। इसके बावजूद, कार्यों का जान सराहनीय व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि विकास विद्यालय या विद्यालय को कार्यों की यथार्थता का जान हो जाय, तो वे अपना लगा सकते हैं। ऐसे विचारों से स्पष्ट है कि, सूचना के अधिकारी की प्रासंगिकता की स्वीकारीति तथा कृत्य के मूर्त रूप देने में सामय नहीं हैं।

स्थानीय परिवेश एवं अवस्थानों का ज्ञान:

ग्राम विकास के लिए ग्राम-सम्बंधी संस्थानों जैसे पहलू का मूलभूत महत्त्व होता है।

[174]
स्थानीय परिवेश एवं अस्तित्वों ही वह अवसर प्रदान करती हैं, जिसके उपर ग्राम-विकास सूची मजबूतित भवन का निर्माण किया जा सकता है। भारतीय ग्राम को धनी माना गया है, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण रहे हैं। किन्तु, इन संसाधनों के समुचित उपयोग के अभाव में गाँव पिछड़ेपन के शिकार हैं। इस बारे में तथ्यों का संकलन किया गया (तालिका ४.७) तो ज्ञात हुआ कि, ७५.६ प्रतिशत (सामान्य जाति के ३७.४ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के २०.७ प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के २७.३ प्रतिशत) पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय परिवेश एवं अस्तित्वों का ज्ञान है। ये प्रतिनिधि इन स्थितियों का लाभ उठाकर ग्राम-विकास करना चाहते हैं। इस तरह अधिसंख्य प्रतिनिधि ग्राम-विकास के लिए स्थानीय परिसंपत्तियों के प्रति जागरूक पायें गये हैं।

पूर्वांकित के विपरीत २४.१ प्रतिशत (सामान्य जाति के १२.६ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के

तालिका संख्या - ४.७

पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय परिवेश एवं अस्तित्वों की जानकारी

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रःसः</th>
<th>जाति</th>
<th>स्थानीय परिवेश एवं अस्तित्वों की जानकारी</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
</table>
| १.     | सामान्य जाति           | हैं  
        |                        | २७७ (३७.४) 
        |                        | नहीं 
        |                        | ७३ (१२.६)  
        |                        | २५० (५०.००)          |
| २.     | पिछड़ी जाति            | हैं  
        |                        | १२० (२०.७) 
        |                        | नहीं 
        |                        | ३६ (०६.२)  
        |                        | १५६ (२६.६०)          |
| ३.     | अनुसूचित जनजाति      | हैं  
        |                        | १०३ (३७.४) 
        |                        | नहीं 
        |                        | ३१ (०५.३)  
        |                        | १३४ (२३.७०)          |
| योग   |                        | हैं  
        |                        | ४४० (७६.४) 
        |                        | नहीं 
        |                        | ९४० (२४.१) 
        |                        | ५८० (१००.००)        |

* कोलक में अंक प्रत अंक प्रतिशत (%) में है।

[175]
06.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 05.2 प्रतिशत) पंचायत प्रतिनिधि व्यंग को स्थानीय परिवेश एवं अस्तियों का दान नहीं है। इन प्रतिनिधियों में अधिसंख्यक महिलाओं है और ग्राम से दूर (शहर) निवास करने वाले हैं। ऐसे प्रतिनिधि स्थानीय परिसंपत्तियों का विकास के लिए प्रशोध करने हेतु उनके उल्लेख नहीं हैं, बल्कि सरकारी भान के माध्यम से विकास की गति देना चाहते हैं। इस तरह की सीकंदर पौरी तरह सकारात्मक नहीं काफ़ी जा सकता है, क्योंकि स्थानीय विकास का आधार वहाँ के परिवेश में ही समय है।

संगठन/आंदोलन:

संगठन/आंदोलन किसी समस्या के समाधानार्थ आवश्यक शीता है। जब मानव के समश
कोई सार्वजनिक समस्या प्रकाश में आती है, तो उसका समाधान भी वह उसी तीर पर करना
चाहता है। ऐसे समस्या का हल जब सामान्य तरीके से नहीं हो पाता, तो संगठन/आंदोलन का
रास्ता अधिकार करना पड़ता है। सामान्यतया ऐसे कार्यों के नेतृत्वकार्य, समाजसेवी या यदा-कदा
जन-सामान्य अंजाम देता है। प्रस्तुत शोध में स्थानीय समस्याओं के समाधानार्थ पंचायत
प्रतिनिधियों के संगठन/आंदोलन का अध्ययन किया गया, तो जाने हवा कि 73.8 प्रतिशत ने ऐसे
संगठन/आंदोलन से सफलता प्राप्त किया है, जबकि 25.2 प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी तथा
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 72.0 प्रतिशत, 06.8 प्रतिशत तथा 07.2 प्रतिशत) ने ऐसे संगठन/आंदोलन नहीं किया है। इनके अनुसार, ऐसी काफी परिस्थिति या तो आई
नहीं और आई भी तो हमें कोई झंझट नहीं मोता।

स्थानीय समस्याओं के निमित्त संगठन/आंदोलन करने वालों में 22.8 प्रतिशत पूर्ण
सफलत (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के क्रमशः 13.7 प्रतिशत, 06.2 प्रतिशत तथा
03.4 प्रतिशत), 32.6 प्रतिशत आधिक सफल (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के
क्रमशः 97.5 प्रतिशत, 05.6 प्रतिशत एवं 05.6 प्रतिशत) और 98.4 प्रतिशत असफल
(सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के क्रमशः 01.7 प्रतिशत, 04.8 प्रतिशत तथा
## तालिका संख्या - ४.२

स्थानीय समस्याओं के निमित्त संख्या/आलोचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रैस</th>
<th>जाति</th>
<th>हैं (सफलता की मात्रा)</th>
<th>नहीं</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पूर्ण</td>
<td>आशिक</td>
<td>असफल</td>
</tr>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>७६</td>
<td>१०२</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(१३.७)</td>
<td>(१७.८)</td>
<td>(१३.१)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>३६</td>
<td>५२</td>
<td>२८</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(०६.२)</td>
<td>(०८.४)</td>
<td>(०५.३)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनु/अनु जनजाति</td>
<td>२०</td>
<td>३४</td>
<td>३४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(०३.४)</td>
<td>(०६.४)</td>
<td>(०५.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>१३२</td>
<td>१८६</td>
<td>१०७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(२२.४)</td>
<td>(३२.६)</td>
<td>(२०.४)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में अधिक अंक प्रतिशत (%) में है।

०६.६ प्रतिशत) पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं। सम्पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि, अधिकांश व्यक्ति स्थानीय समस्याओं के जरूरत जागरूक हैं। यह स्थिति ग्राम-सभा के विकास-मार्ग को प्रशंसा करनी है।

### स्थानीय सुविधा एवं विकास:

आज के तीसरे दशक एवं स्वार्थपूर्ण समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव होता जा रहा है। इस तरह का अभाव जन-सामान्य में भी सामान्यतया दृष्टिगत होता है। जन-सामान्य तोड़-फोड़, आगजनी, हिंसा, अदृष्ट शर्माजन इत्यादि में अधिक लिप्त पाई जाती है। ऐसी दशा में स्थानीय स्तर पर जन सामान्य के सकारात्मक पहल के जान हेतु तथ्यों का संकलन (तालिका - ४.३) किया गया, तो हाल हुआ कि, जन-सामान्य की पंचायत प्रतिनिधित्व में स्थानीय सुविधा एवं विकास हेतु सकारात्मक पहल २४.५ प्रतिशत में पूर्ण स्पर्श (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुपूर्वित |
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>जाति</th>
<th>सकारात्मक पहल</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>पूर्ण</td>
<td>आधिक</td>
<td>नकारात्मक</td>
</tr>
<tr>
<td>1. सामान्य जाति</td>
<td>४०</td>
<td>१०३</td>
<td>१०७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(११.८)</td>
<td>(३२.८)</td>
<td>(३२.८)</td>
</tr>
<tr>
<td>२. पिछड़ी जाति</td>
<td>३६</td>
<td>५४</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(०६.६)</td>
<td>(१६.६)</td>
<td>(१६.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>३. अनुरूप/अनुि जनजाति</td>
<td>२३</td>
<td>५४</td>
<td>६७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(०४.४)</td>
<td>(१५.०)</td>
<td>(१५.०)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>५४२</td>
<td>३६१</td>
<td>२७७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(२४.४)</td>
<td>(१३.२)</td>
<td>(१२.६)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में अभांत अंक प्रतिशत (४०) में है।

जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमश: ३३.४ प्रतिशत, ०५.७ प्रतिशत तथा ०४.० प्रतिशत) रहा है। इन जनजाति के जनता नित्य सभी परिवार के समस्ती सृष्टि के समाधानार्थ तत्पर रहती है और अच्छा करने का प्रयत्न करती है। ३२.६ प्रतिशत तथा आधिक सकारात्मकता (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमश: ९६.४ प्रतिशत, ०६.३ प्रतिशत तथा ०५.० प्रतिशत) और ४२.६ प्रतिशत नकारात्मक (सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमश: ९८.४ प्रतिशत, १०.४ प्रतिशत तथा १३.२ प्रतिशत) पहल वाले पाये गये हैं। स्पष्ट है कि, स्थानीय स्तर पर जन-सामान्य के सकारात्मक सोच की पूर्णता में अभी कमी पायी जा रही है।
स्थानीय विवादों का निस्तारण:

आज के औपचारिक समय में विवादों का निपटारा भी पुलिस, न्यायालय व जेल जैसे संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। इस स्वरूप में स्थानीय विवादों के निस्तारण में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका शिविर पहली जा रही है। बलिया जनपद में इस बारे में पंचायत प्रतिनिधि व्यों की स्थिति जानने के लिए तत्त्वों का संकलन (तालिका ४.१०) किया गया तो जान हुआ कि ९०.० प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के क्रमशः ३५.५ प्रतिशत, ०२.८ प्रतिशत एवं ८७.५ प्रतिशत प्रतिनिधि) विवादों का तक्कल निस्तारण करते हैं, २५.५ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के क्रमशः १६.५ प्रतिशत, ०५.० प्रतिशत एवं ०३.६ प्रतिशत प्रतिनिधि) विवादों के निस्तारण में महत्व की भूमिका निभाते हैं, ०६.५ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के क्रमशः ०२.९ प्रतिशत, ०२.५ प्रतिशत एवं ०२.० प्रतिशत)

tालिका संख्या - ४.१०

स्थानीय विवादों के निस्तारण में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>जाति</th>
<th>पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सं</td>
<td></td>
<td>तक्कल समाधान</td>
<td>समाधान</td>
</tr>
<tr>
<td>१.</td>
<td>सामान्य जाति</td>
<td>३२ (०५.५)</td>
<td>६८ (३१.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पिछड़ी जाति</td>
<td>१५ (०२.८)</td>
<td>२८ (०५.०)</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>अनुशासन जनजाति</td>
<td>२० (०१.७)</td>
<td>२७ (०२.८)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>५८ (०१.०)</td>
<td>६४ (०२.५)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* कोच्चर में अंक अनुसार प्रतिशत (%) में है।

[179]
प्रतिशत प्रतिलिपि) विवादों के निपटारे हेतु न्यायालयीय समाधान का मार्ग अपनाने पर वल देते हैं और 92.6 प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के क्रमशः 06.4 प्रतिशत, 04.4 प्रतिशत एवं 02.0 प्रतिशत प्रतिलिपि) विवादों के निस्तारण हेतु अन्य मार्ग को अपनाते हैं। इनके विपरीत 44.7 प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के क्रमशः 94.9 प्रतिशत, 99. 7 प्रतिशत एवं 12.8 प्रतिशत प्रतिलिपि) विवादों के निपटारे का मार्ग नहीं करते हैं। तालिका के तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि, स्थानीय विवादों के निस्तारण में पंचायत की भूमिका में बड़ा हो रहा है। मात्र 90.0 प्रतिशत पंचायत ही स्थानीय विवादों के निस्तारण में प्रभावी हैं, जबकि 80.0 प्रतिशत की प्रभावितता पर प्रश्न चिन्ह हैं।

विकास/समृद्धि का प्रारूप:

आज का समय तार्किक योजना का युग है। इसके अन्तर्गत विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन कर संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सुनिश्चित प्रारूप पर कार्य किया जाता है।

इसके वजह विज्ञान की यह प्रस्तावना है कि, यदि विकास को सुनिश्चित/वाढ़ता तक पहुँचाना है तो विज्ञान के सिद्धांतों/अनुसूचित जातियों के तहत विकास के प्रारूप को अपनाना होगा।

भारतीय गांधी स्वतंत्र: उद्योग की प्रक्रिया के तहत स्थापित है और ऐसी स्थिति में इन्हें उन्नति व समृद्धि का स्वरूप प्रदान करना है तो पंचायत को एक प्रारूप के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

प्रस्तुत अध्ययन में इस बारे में तथ्यों का संकलन किया गया (तालिका - 4.91) तो सामान्य जाति के 02.8 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के 09.4 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 00.6 प्रतिशत प्रतिलिपि वाले पंचायतों) में स्थानीय उन्नति एवं समृद्धि के लिए सुनिश्चित प्रारूप पर कार्य किया जा रहा है।

ये पंचायत संरचनात्मक एवं गतिशील पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास करना चाहती हैं और अपने मशीनरियों का समन्वय उपयोग पर बल दे रही हैं। ये पंचायत स्थानीय पिछड़े/विकास के क्षेत्रों का भी चिन्हित की हैं। इस तरह, विकास के प्रत्येक पहलु का ज्ञान प्राप्त करके ये क्रियाशीलता की रचनात्मकता तैयार करते हैं।

[180]
किन्तु, ऐसी पंचायतों का प्रवास सम्पूर्ण जनपद के विकास की दिशा को सुनिश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि 6.50 प्रतिशत पंचायतें (सामान्य जाति के 47.2 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के 25.5 प्रतिशत तथा अन्य जाति के 22.2 प्रतिशत प्रतिनिधित्व वाली पंचायतें) स्थानीय उन्नति एवं समृद्धि के निमित प्रारूप पर कार्य नहीं कर रही हैं।

उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र:

यह तथ्य स्वीकार्य होता जा रहा है कि, स्थानीय नेतृत्व से संबंधी नेतृत्व तक अपने उत्तरदायित्व से विपुख होता जा रहा है। ये नेतृत्व विकास के अभाव को दूसरों पर भोपना चाहते हैं और परस्पर आरोप-आरोप चलते हैं। तात्पर्य यह है कि, लोकतंत्र में नेता अपने लोक कर्तव्यों में सरोकार नहीं रखा रहे हैं और स्व-हित को साधने में संलग्न रहते हैं। इसीलिे, इन्हें लोक-लोकक न मानक प्रक्ष्य व्यविश्वव की अभिव्यक्ति ना जाना लगा है और नेता शक्ति की पवित्त्रता प्रभावित
## तालिका संख्या - ४.९२

पंचायत व्यवस्था का “उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र” की ओर अग्रसरता

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमसं</th>
<th>जाति</th>
<th>उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>पूर्ण</td>
<td>आशिक</td>
<td>नहीं</td>
</tr>
<tr>
<td>१. सामान्य जाति</td>
<td>३५ (०६.३)</td>
<td>८२ (४९.१)</td>
<td>३७ (२६.५)</td>
</tr>
<tr>
<td>२. पिछड़ी जाति</td>
<td>२४ (०५.०)</td>
<td>४७ (४८.८)</td>
<td>२० (२६.७)</td>
</tr>
<tr>
<td>३. अनु०/अनु० जनजाति</td>
<td>११ (०७.६)</td>
<td>३१ (४८.५)</td>
<td>६२ (२६.८)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>७६ (१२.६)</td>
<td>९६ (२६.६)</td>
<td>३५५ (४६.४)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* कोचक में अंकित अंक प्रतिशत (%) में है।

हुई है। इस बारे में स्थानीय स्तर पर वस्तुतत्वता के बान हेतु तत्त्वों का संरक्षण किया गया, तो जात हुआ (तालिका ४.९२) कि, पंचायत व्यवस्था का "उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र" की ओर अग्रसरता का पूर्णता ७२.४ प्रतिशत प्रतिनिधि (सामान्य जाति के ०६.३ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ०५.० प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों के ०७.६ प्रतिशत प्रतिनिधि) स्वीकार रहे हैं, २७.६ प्रतिशत प्रतिनिधि आशिक अग्रसरता (सामान्य जाति के ९४.१ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के ०८.९ प्रतिशत एवं अनुसूचित जातियों के ०५.२ प्रतिशत प्रतिनिधि) को, जबकि ४५.५ प्रतिशत प्रतिनिधि (सामान्य जाति के २६.४ प्रतिशत, पिछड़ी जाति के १३.८ प्रतिशत एवं अनुसूचित जातियों के ५५.६ प्रतिशत प्रतिनिधि) ने उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र के नकारात्मकता को स्वीकार किया है।

स्पष्ट है कि, जनपद बलिया में पंचायत तर पर "उत्तरदायित्वपूर्ण जनतंत्र" की अग्रसरता का
नितातल अभाव सा है। जब तक इस स्थिति को बदलता नहीं जायेगा, तब तक लोकतंत्र की नीति मजबूत नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र का मूल स्थानीयता से जुड़ा हुआ है।

जातीय सम्बन्ध:

भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों में “जाति-व्यवस्था” मुख्य है। राजनीतिक रूप में सफलता-असफलता जातीय समूहों पर निर्भर होता जा रहा है। यह कहना अतिशय नहीं होगी कि, राजनीति में परम्परागत जातीय-सीधार्म/व्यवस्था को अपने अनुसूच का बारा है। इस संदर्भ में वर्तुःसीत के परीक्षणाधीन तथ्यों का संकलन (तालिका ४.०३) किया गया तो जाना हुआ कि चुनावी राज के लागू होने से ०५.२ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचीत जाति/अनुसूचीत जनजाति के क्रमशः ०२.५ प्रतिशत, ०३.६ प्रतिशत) अन्तर्जातीय सम्बन्ध मधुर हुए है। ३५.० प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचीत जाति/अनुसूचीत जनजाति के क्रमशः ०२.५ प्रतिशत, ०३.६ प्रतिशत) अन्तर्जातीय सम्बन्ध मधुर हुए है। ३५.० प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचीत जाति/अनुसूचीत जनजाति के क्रमशः ०२.५ प्रतिशत, ०३.६ प्रतिशत)

तालिका संख्या - ४.०३

पंचायती राज का जातीय सम्बन्धों पर प्रभाव

<table>
<thead>
<tr>
<th>आयु (विद्व)</th>
<th>क्षेत्रीय जाति</th>
<th>अंतर्जातीय सम्बन्धन</th>
<th>अंतर्जातीय लितवाद</th>
<th>अंतर्जातीय विकास</th>
<th>जातीय सांसरण में लोग</th>
<th>जातीय सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था से प्रतिशत</th>
<th>अन्य</th>
<th>नैन्द</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>०१ समूह</td>
<td>९२ (०२.५)</td>
<td>७१ (०७.३)</td>
<td>२६ (०४.५)</td>
<td>००</td>
<td>५२ (०६.०)</td>
<td>५६ (०६.०)</td>
<td>०७ (०७.३)</td>
<td>३३ (०६.९)</td>
<td>२६० (१०.०)</td>
</tr>
<tr>
<td>०२ पिछड़ी जाति</td>
<td>०६ (०१.६)</td>
<td>५२ (०६.०)</td>
<td>६ (०३.२)</td>
<td>००</td>
<td>२५ (०४.५)</td>
<td>२६ (०४.५)</td>
<td>०७ (०७.३)</td>
<td>२० (०२.६)</td>
<td>९५ (२६.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>०३ अनुसूचीत जाति</td>
<td>०६ (०१.६)</td>
<td>३३ (०५.४)</td>
<td>६ (०३.२)</td>
<td>००</td>
<td>२५ (०४.५)</td>
<td>२६ (०४.५)</td>
<td>०६ (०२.६)</td>
<td>१३ (०२.६)</td>
<td>४३ (२६.६)</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>३० (०५.२)</td>
<td>९५ (३३.०)</td>
<td>६० (०२.३)</td>
<td>००</td>
<td>७५ (३३.०)</td>
<td>५३ (३३.०)</td>
<td>२० (०२.६)</td>
<td>७० (२६.५)</td>
<td>५६० (१०.०)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* क्रेडिट में अर्थात् अन्तर्जातीय प्रतिशत (%) में है।
जनजाति के क्रमशः ७६.१७ प्रतिशत, ०६.० प्रतिशत एवं ०५.४ प्रतिशत) अंतर्जातिय तनाव उत्पन्न हुआ है, ९०.३ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः ०४.४ प्रतिशत, ०३.२ प्रतिशत एवं ०२.६ प्रतिशत), अतः जातीय सुदृढ़ता हुआ है, ००.० प्रतिशत (शून्य प्रतिशत) अतः जातीय विकार रुक गया है, ९५.२ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः ०६.० प्रतिशत, ०४.३ प्रतिशत एवं ०४.५ प्रतिशत), जातीय संस्थान में लोग को जन्म दिया है, २२.३ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः ०५.७ प्रतिशत, ०४.१ प्रतिशत एवं ०४.० प्रतिशत), जातीय संबंध को राजनीतिक/व्यवस्था से प्रेरित किया है और ०३.४ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः ०१.२ प्रतिशत, ०१.२ प्रतिशत एवं ०१.० प्रतिशत), अन्य प्रभाव दलाल है। धनतेरस राज का जातीय सम्बन्धों पर किसी भी प्रभाव को ९२.९ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्रमशः ०५.४ प्रतिशत, ०२.४ प्रतिशत एवं ०२.२ प्रतिशत) ने नकार दिया है। संक्षेप में पंचायती राज व्यवस्था ने परम्परागत जातीय व्यवस्था को प्रभावित किया है।

पंचायत प्रतिनिधि एवं सांसद व विधायक:

पंचायती राज अधिनियम से सता का हस्तांतरण स्थानीय स्तर तक हुआ है। इसका प्रभाव पंचायत प्रतिनिधियों एवं सांसद व विधायक नेतृत्व में नवीन आयामों का उदय हुआ है। ये आयाम/प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दो स्वरूपों में हमारे सामने आ रहे हैं। तालिका ४.६४ में इन एकारात्मक व नकारात्मक सम्बन्धों को अभिव्यक्ति किया गया है, जिससे विदित है कि, सकारात्मक सम्बन्धों में ६४.० प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी व अनुसूचित जाति के क्रमशः २४.१ प्रतिशत, १६.९ प्रतिशत एवं १३.९ प्रतिशत) शीर्ष नेतृत्व से पंचायत प्रतिनिधिव्य का सामान्यस्त, ०४.३ प्रतिशत (सामान्य, पिछड़ी व अनुसूचित जाति के क्रमशः ०४.६ प्रतिशत,
<table>
<thead>
<tr>
<th>को सं</th>
<th>श्रेणी विभ</th>
<th>शीर्ष नेतृत्व से सामाजिक</th>
<th>विकास कार्यों का सरलता से क्रमन्तरण</th>
<th>स्थानीय प्रतिनिधियों से सम्मान में वृद्धि</th>
<th>अन्य</th>
<th>विविध नेतृत्व में अधिकार का संख्या</th>
<th>सांसद/विधायक के अधिकार कम</th>
<th>उच्च व निम्न नेतृत्व में अन्य</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 सामान्य</td>
<td>540  (24.4)</td>
<td>99  (09.4)</td>
<td>27  (04.0)</td>
<td>08  (01.4)</td>
<td>27  (03.6)</td>
<td>54  (06.3)</td>
<td>20  (03.4)</td>
<td>6  (09.6)</td>
<td>260 (50.00)</td>
</tr>
<tr>
<td>02 पिछड़ी जाति</td>
<td>66  (09.4)</td>
<td>08  (01.4)</td>
<td>13  (02.3)</td>
<td>07  (01.4)</td>
<td>10  (07.9)</td>
<td>28  (04.8)</td>
<td>18  (03.1)</td>
<td>3  (00.5)</td>
<td>196 (26.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>03 अनुपूर्वित जाति</td>
<td>76  (09.0)</td>
<td>06  (01.2)</td>
<td>05  (00.4)</td>
<td>04  (00.19)</td>
<td>23  (03.6)</td>
<td>10  (03.7)</td>
<td>3  (00.4)</td>
<td>134 (23.9)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>285 (46.9)</td>
<td>25 (04.3)</td>
<td>47 (05.9)</td>
<td>20 (03.5)</td>
<td>35 (06.0)</td>
<td>105 (16.9)</td>
<td>45 (02.6)</td>
<td>530 (100.00)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* कोष्ठक में अंक प्रतिशत (%) में है।
09.0 प्रतिशत एवं 09.0 प्रतिशत) विकास कार्यों के सरलतापूर्वक किरायवान के रूप में, और
08.9 प्रतिशत (सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः 04.7 प्रतिशत, 02.3 प्रतिशत
एवं 01.2 प्रतिशत) स्थानीय प्रतिनिधियों से समन्वय में वृद्धि के रूप में और 03.5 प्रतिशत
(सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः 09.4 प्रतिशत, 09.2 प्रतिशत एवं 00.6
प्रतिशत), अन्य रूप में प्रभावित हुआ है। स्पष्ट है कि स्थानीय नेतृत्व व शीर्ष नेतृत्व के समन्वय
बेहतर हुए है, जिसके एक-दूसरे का परस्पर स्थाय्र एवं राजनीतिक व्यवस्था की सार्थकता है।

नकारात्मक सम्बन्ध में 06.0 प्रतिशत (सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः
03.5 प्रतिशत, 09.7 प्रतिशत एवं 00.7 प्रतिशत) विशिष्ट नेतृत्व में अधिकारों का संध्य के
रूप में, 08.7 प्रतिशत (सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः 06.3 प्रतिशत, 004.
8 प्रतिशत एवं 04.0 प्रतिशत), सांसद व विधायिक के अधिकारों में न्यूनता से पंचायत
प्रतिनिधियों से तनाव के रूप में, 08.3 प्रतिशत (सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः
03.4 प्रतिशत, 03.9 प्रतिशत एवं 01.7 प्रतिशत), उच्च व निम्न नेतृत्व में असमानोत्पजन के
रूप में तथा 02.6 प्रतिशत (सामान्य, फिट्सी व अनुसूचित जाति के क्रमशः 01.6 प्रतिशत,
00.5 प्रतिशत एवं 00.5 प्रतिशत) अन्य रूप में उभरे है। इस तरह पंचायत प्रतिनिधि व उच्च
नेतृत्व में पर्याप्त नकारात्मक सम्बन्ध भी उभरकर सामने आये हैं।

[186]